न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 117/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

सुखदेव साव वगैरह ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

संजय राम वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

15-10-24

प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी बिरनी के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 17.08.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत कर उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- पुरनानगर, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 43, प्लॉट नं0- 125, रकबा- 40 डी0
चौहद्दी : उ0- रास्ता, द0- धान मुरत तेली, पू0- धान निज, प0- परती कदीम

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा। उभय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा भी दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के अनुसार विवादग्रस्त भूमि उनके परदादा भातू तेली के नाम से खतियानी रैयती दर्ज है एवं तब से अभी तक पीढ़ी -दर- पीढ़ी वे दखलकार चले आते हैं। दिनांक 25.06.2024 को द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के खेत पर जबरन कब्जा करने के प्रयास करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करते है :-

(1) बकाश्त खतियान की छायाप्रति;

(2) नक्शा की छायाप्रति;

वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि खाता सं0- 43

सर्वे खतियान के अनुसार बकाश्त खाते की भूमि है जो सर्वे खतियान में नेम नारायण सिंह के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन्दार के वंशज के द्वारा केवाला दस्तावेज 2037 दिनांक 11.04.1949 के द्वारा अन्य प्लॉट के साथ उक्त भूमि का विक्रय द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0- 01 के साथ कर चुके है तथा उक्त विक्रय कृत भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय द्वारा संधारित पंजी-II के पृष्ठ सं0- 172 भाग सं0- 01 पर झगर राम के नाम से दर्ज है तथा दो अन्य केवाला दस्तावेज के जरिए द्वितीय पक्ष सदस्य सं0- 02 के पूर्वज को प्राप्त है। साथ ही द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि केवाला दस्तावेज 2199 तथा 6493 का दाखिल खारिज अंचल कार्यालय से हो चुका है तथा राजस्व रसीद निर्गत होता आ रहा है। अपने दावे के समर्थन में द्वितीय पक्ष केवाला सं0- 2199, 6493 तथा 2037 की छायाप्रति संलग्न करते है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अध्ययन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि वादग्रस्त भूमि बकाश्त खाते की है प्रथम पक्ष के द्वारा या द्वितीय पक्ष के द्वारा जमाबन्दी संबंधी कोई साक्ष्य या लगान रसीद संलग्न नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन अग्रेत्तर विवेचन हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा जो कि उपलब्ध नहीं है।

चुँकि भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत इस वाद का अग्रेत्तर विवेचन सीमित समय में संभव नहीं है अत: वाद के निपटारे हेतु प्रथम पक्ष के वाद को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिवर्तित किए जाने के अनुरोध को स्वीकृत किया जाता है एवं इस आदेश के साथ भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

उभय पक्ष को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत नोटिस भेजें तथा वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 21-1-25 को सूचीबद्ध करें।

लेखापित एवं संशोधित

15-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

15-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.02 17:57:48 +05:30
Location: 192.168.1.11